सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 161/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–02.08.2024

GCMS ID–2024/264

1. हीरालाल आ0 रामकल्याण जाति खटीक निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. धनराज आ0 रामकल्याण जाति खटीक निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजकुमार आ0 रामकल्याण जाति खटीक निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राजेश आ0 रामकल्याण जाति खटीक निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
5. रामभरोसी पुत्री रामकल्याण जाति खटीक निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
6. सुशीला देवी पत्नी रामकल्याण जाति खटीक निवासी पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 24/03/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि ग्राम पेंच की बावडी के जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 155 के खसरा संख्या 215 रकबा 0.1052 है0, खसरा संख्या 217 रकबा 0.4856 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.5908 हैक्टेयर स्थित है। इसके अलावा ग्राम पेंच की बावडी के ही जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 154 के खसरा संख्या 776/174 रकबा 0.1619 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों के खातेदार प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है लेकिन अभी सरकारी कार्यवश जमावंदी की नकले व नक्शा 08.07.2024 को लेने पर पता चला कि प्रार्थीगण के एक खाता नम्बर 776/174 की तरमीम 216 व 213 के मध्य करने के स्थान पर 213 के उपर यानि की दक्षिणी और कर दी गई है जिससे नक्शे में लाल स्याही से बताया गया है जबकि उक्त तरमीम नक्शे में ग्रीन कलर से दर्शित स्थान पर की जानी थी और ग्रीन रंग के स्थान पर ही प्रार्थीगण काबिज है चारदीवारी बनी हुई है कुंआ खुदा हुआ है गेट लगा हुआ है परन्तु बी आर एल एम के तहत वादी की खसरा संख्या की तरमीम सिवायचक भूमि में कर दी। प्रार्थी ने 08.07.2024 को नकल लेने व जानकारी होने के पश्चात प्रतिवादी के राजस्व अधिकारियों से उक्त तरमीम को दुरूस्त करने को कहा गया लेकिन उनके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने की बात कही। प्रार्थीगण अपने कब्जे वाले स्थान पर तरमीम को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि ग्रीन रंग से प्रस्तावित दर्शित स्थान व वर्तमान तरमीमशुदा स्थान एक ही खसरा नम्बर के भाग है। वाद कारण 08.07.2024 के बाद नकल लेने से जानकारी होने पर लगातार उत्पन्न हो रहा है अतः प्रार्थना पत्र अवधि मध्य पेश है। भूमिया श्रीमान के क्षेत्राधिकारी में स्थित है इसलिए श्रीमान को यह प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस व उचित तलबाने के साथ प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 776/174 जिसकी तरमीम तर्वमान में नक्शे में लाल स्याही से दर्शित स्थान पर हो रही है, की तरमीम दुरूस्त कर नक्शे में दर्शित हरे स्थान पर दुरूस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो दी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक :– राजस्व/25/590 दिनांक 18.03.2025 अनुसार खसरा संख्या 776/174 प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा संख्या नम्बर की नक्शा लठ्ठा में तरमीम नहीं हो रही है। नक्शा शीट व ऑनलाईन नक्शे की जहॉ उक्त खसरा नम्बर की तरमीम हो रही है वहॉ खातेदारों का कब्जा नहीं है। खातेदारों का कब्जा काश्त खसरा संख्या 174 सिवायचक भूमि पर खातेदारों की अन्य खातेदारी भूमि खसरा संख्या 215 के समीप है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा संख्या 776/174 की तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। पेरोकार सरकार द्वारा खसरा संख्या 776/174 की वर्तमान तरमीम को खारिज कर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के तरमीम किया जाना अंकित किया गया है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी के खाता संख्या 154 के खसरा संख्या 776/174 की वर्तमान में गलत हुई तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार तरमीम किया जाना अपेक्षित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 154 के खसरा संख्या 776/174 वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः खसरा संख्या 776/174 की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहर्रीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 24.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

24/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला दूनी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446